

**फर्द अहकाम**  
(नियम 26)

लत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

अनिता

बनाम

बिशम्बर

वदम २१७


नं.

११६१


सन २०१५

<p>कम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुआ</p>
--	--

०३/१०/२५ वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तैलत की गई। वादी व वादी वकील ने वाद आगे बढी चलते हुए इसी स्तर पर वाद No. १२६४ में रखा रिज करने का कथन किया।  
वादी के दस्तख़त करने गये। वादी की पदचान वकील वादी ने की। अतः वकील वादी के द्वारा वाद No. १२६४ करने पर वाद रखा रिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल होकर नम्बर से कम हो। वाद पूर्ण जमा लेख गण्डार हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मालाखेड़ा (अनवर) राज०



अनवर  
R. D.  
  
Notary